Order sheet [Contd]

case No: BA. -342 / 17

Order or proceeding with signature of Presiding Officer

Signature of Parties or Pleaders where necessayry

04-10-17 02:30 to 02:45 PM आवेदक / अभियुक्त रामकुमार शर्मा द्वारा श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता उप०।

राज्य द्वारा श्री बी.एस. बघेल अतिरिक्त लोक अभियोजक उप०। थाना मौ के अपराध क्रमांक 199/17 अंतर्गत धारा—304बी, 34 भा0दं0सं0 एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध की कैफियत एवं केस डायरी प्राप्त।

आवेदक के जमानत आवेदन अंतर्गत धारा—438 दं0प्र0सं0 के साथ आवेदक रामकुमार शर्मा के मामा विश्वनाथ मिश्र द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। शपथपत्र एवं आवेदन में यह बताया गया है कि यह आवेदक का प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा—438 दं0प्र0सं0 का है। इस प्रकृति का कोई आवेदन समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया गया है, न खारिज हुआ है और न ही विचाराधीन है। ऐसा ही केसडायरी से भी स्पष्ट है।

आवेदक रामकुमार शर्मा के अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा—438 दं0प्र0सं0 पर उभयपक्ष के तर्क सूने गए।

आवेदक की ओर से यह व्यक्त किया गया है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। उसके विरूद्ध झुंठा अपराध पंजीबद्ध करा दिया गया है। आवेदक द्वारा आज तक कभी भी दहेज की मांग नहीं गई है। मृतिका रूबी के शरीर पर सफेद दाग थे। इन दागों को छिपाकर मृतिका के माता पिता ने विवाह करा दिया था। विवाह के पश्चात मृतिका के ससुराल आने पर जब दागों के बारे में पूछा गया तो वह बहुत मायुस हो गई थी, क्योंकि उसके माता पिता ने उसे यह बताया था कि हमने कहकर शादी की है कि सफेद दाग हैं। दागों की ग्लानी के कारण मृतिका परेशान रहती थी और इसी कारण उसने आत्म हत्या कर ली। आवेदक का इस घटना से कोई संबंध नहीं है। विवाह के पश्चात मृतिका अपने पति के साथ ग्राम कतरौल में अलग रहती थी। आवेदक अपनी पत्नी एवं बच्चों के साथ भिण्ड में रहता है। आवेदक मृतिका के साथ कभी नहीं रहा है। घटना के समय भी आवेदक भिण्ड में था। सह अभियुक्ता श्रीमती विनीता का अग्रिम जमानत आवेदनपत्र माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा दिनांक 20.09.17 को स्वीकार किया जा चुका है। उक्त आधारों पर अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

राज्य की ओर से जमानत आवेदन का घोर विरोध किया है तथा जमानत आवेदन निरस्त किए जाने पर बल दिया है।

उभयपक्ष को सुने जाने तथा कैफियत व केस डायरी का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि अभियोजन के अनुसार मृतिका रूबी का विवाह देवेन्द्र शर्मा के साथ दिनांक 27.04.15 को हुआ था। विवाह के एक माह बाद से ही पति देवेन्द्र शर्मा, ज्येठ रामकुमार एवं जेठानी विनीता द्वारा रूबी से दहेज में वाशिंग मशीन, मोटरसइकिल व डेढ लाख रूपए की मांग का प्रताडित किया जाता था। पति देवेन्द्र शर्मा के द्वारा रामकमार एवं जेठानी विनीता के कहने पर रूबी की मारपीट कर प्रताडिता किया जाता था। उक्त प्रताडना के कारण ही दिनांक 26.07. 17 को विवाह के सात वर्ष के भीतर रूबी की समान्य परिस्थितियों से भिन्न परिस्थितियों में फांसी से मृत्यू हो गई, जिसके संबंध में देहाती मर्ग 0/17 लिखी गई। जिस पर से थाना मौ में असल मर्ग की कायमी की गई। मर्ग जांच में देवेन्द्र शर्मा विनीता एवं रामकुमार के द्व ारा रूबी से दहेज में वाशिंग मशीन, मोटरसइकिल व डेढ लाख रूपए की मांग का प्रताडित करने से रूबी की समान्य परिस्थितियों से भिन्न परिस्थितियों में फांसी से मृत्यु होना अर्थात अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध पाए जाने पर थाना मौ में अपराध पंजीबद्ध किया गया।

आवेदक की ओर से प्रमुख आधार यह लिया गया है कि सहअभियुक्त विनीता की जमानत आदेश माननीय उच्च न्यायालय के द्व ारा स्वीकार किया गया है और आवेदक का प्रकरण भी उसके समान है परंतु आवेदक मृतिका का जेठ है। विनीता महिला है इसलिए आवेदक मामला विनीता के समान नहीं कहा जा सकता है। उपरोक्त आक्षेपों को देखते हुए आवेदक को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया जाता है ।

केस डायरी आदेश की प्रति के साथ वापिस की जावे। ्रीत्रका एवं (मोहम्मद अजहर) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड नतीजा दर्ज करने के बाद यह आदेश पत्रिका एवं प्रपत्र अभिलेखागार में भेजा जावे।

ATTENDED OF STATE OF

ATTHORY PRESENT ATTEMPT OF THE PARTY OF THE